सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/76 दायर दिनांक 03.04.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. सदीक पुत्र स्व0 निजामुदीन, आयु–40साल, जाति–तेली, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूस्तम पुत्र स्व0 निजामुदीन, 2. अ. अजीज पुत्र स्व0 रमजान, 3. शोकतअली पुत्र स्व0 रमजान, 4. हुरमत बानो पुत्री मो0 रमजान, 5. हसीनाबानो पुत्री मो0 रमजान, 6. शहनाजबानो पुत्री मो0 रमजान, 7. हलीमाबानो पत्नी मो0 रमजान, 8. सदाम हुसैन पुत्र स्व0 गुलाब मोहम्मद, 9. जुबेदा बेगम पत्नी स्व0 गुलाब मोहम्मद, 10. हसनतबानो पुत्री स्व0 गुलाब मोहम्मद, 11. मदीनाबानो पुत्री स्व0 गुलाब मोहम्मद, 12. रूकसानाबानो पुत्री स्व0 गुलाब मोहम्मद, 13. अफसानाबानो पुत्री स्व0 गुलाब मोहम्मद, 14. बाबू मोहम्मद पुत्र स्व0 निजामुदीन, 15. मो0 सलीम पुत्र स्व0 निजामुदीन, समस्त,जाति–तेली, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 76
दायर दिनांक 03.04.2017, प्राथमिक निर्णय दिनांक 23.05.2017
सदीक बनाम् रूस्तम, वगैरा।

उपस्थितः–

1. श्री ईस्लामुदीन, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री प्रकाश डूकिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक 23.05.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 तक स्व0 निजामुदीन के वारिसान्, उत्तराधिकारी हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 तक की संयुक्त खातेदारी की भूमि सरहद खुनखुना में खसरा नम्बर 193 रकबा 23.05 बीघा अवस्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 तक के पूर्वज निजामुदीन अविवाहित नाऔलाद फौत हो गये। निजामुदीन व लाला के वारिस व उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 तक हैं। रूस्तम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से लाला का पुत्र दर्ज हो गया है जिसे दुरस्त करते हुए वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 तक को खातेदार घोषित जावे। लाला नाऔलाद फौत हो जाने से उनके अंतिम संस्कार की रस्में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 तक ने ही निभाई है। रूस्तम कोई अन्य व्यक्ति न होकर प्रतिवादी संख्या 01 ही है। खातेदार मोहम्मद रमजान फौत हो जाने से उनके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 हैं। खातेदार गुलाब मोहम्मद के फौत हो जाने से उनके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 13 है। खातेदार नसीबन पत्नी निजामुदीन करीबन 10 वर्ष पूर्व फौत हो गयी जिसके वारिसान् व उत्तराधिकारीगण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 ही है। इस प्रकार मौजा खुनखुना में खसरा नम्बर 193 रकबा 23.05 बीघा में से वादी का हिस्सा 1/6 भाग भूमि व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/6 भाग भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 का हिस्सा 1/6 भाग भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 13 तक का हिस्सा 1/6 भाग भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 14 का हिस्सा 1/6 भाग भूमि तथा प्रतिवादी संख्या का हिस्सा 1/6 भाग भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 तक का कब्जाकाश्त है व इसी अनुसार बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के खातेदारी घोषित की जावे।

खतौनी की नकल दिनांक 24.03.2017 को लेने पर उक्त जानकारी वादी को होने पर यह दावा पेश करना लाजमी आया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/78
दायर दिनांक 03.04.2017, प्राथमिक निर्णय दिनांक 23.05.2017
सदीक बनाम् रूस्तम, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद खुनखुना में खसरा नम्बर 193 रकबा 23.05 बीघा में से रकबा 1/6 भाग वादी की, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 01 की, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 की, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 13 की, रकबा 1/6 भाग, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 14 की, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 15 की खातेदारी की घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 16 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में PW–01 सदाम हुसैन का शपथ–पत्र, PW–02 सदीक मो0, PW–03 अब्दुल अजीत तेली, PW–04 रूस्तमअली, PW–05 शौकतअली, PW–06 बाबु मोहम्मद, PW–07 मोहम्मद सलीम का शपथ–पत्र,न्यायालय में पेश हुआ।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2070–2073 तक, प्रदर्श–02 ग्रामपंचायत खुनखुना से जारी वारिस प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–03 रमजानअली का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श–04 गुलाब मो0 का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श–05 नसीबन का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श–06 वारिस प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–07 वारिस प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, न्यायालय में पेश हुए।

प्रकरण, न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प कोलिया में पेश हुआ। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया।

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान् वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाने पर अपनी–अपनी सहमति पेश करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद खुनखुना के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/76
दायर दिनांक 03.04.2017, प्राथमिक निर्णय दिनांक 23.05.2017
सदीक बनाम् रूस्तम, वगैरा।

सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद खुनखुना में खेत खसरा संख्या 193 रकबा 23.05 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में आने–जाने हेतु, संयुक्त रूप से रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाते हुए, दो प्रतियों में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना
कोट कैम्प–कोलिया

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 23.05.2017 को कोर्ट कैम्प–कोलिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोट कैम्प–कोलिया

Scanned by CamScanner